डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक.

बइजलास– प्रभूदयाल शर्मा **R.A.S.**

कैलाशचन्द वगै0 बनाम बंशीलाल वगै0 ✪

वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद सं0 148/17

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..... व हाजिरी.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... .....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि डिगरी दी जाती हैं वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जाती है कि ✪

निज.....मुबलिग.....बाबत..... खर्चो इस मुकद्दमे के मय सूद बश्रह.....फीसदीसालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसंब्त मेरेर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक.

पीठासीन अधिकारी- : प्रभूदयाल शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद सं0- : 148/17

1- कैलाशचन्द पुत्र रामचन्द्र आयु 55 साल

2- मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र आयु 52 साल

3- ग्यारसीलाल पुत्र रामचन्द्र आयु 48 साल

समस्त जाति खाती निवासी खातीयो की ढ़ाणी शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.

4- श्रीमती रामा देवी रामचन्द्र पत्नि कालूराम उम्र 73 साल जाति खाती निवासी सावली

5- चंदा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नि लाचन्द उम्र साल निवासी हिरनोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1- बंशीलाल आयु40 साल

2- अशोक आयु 33 साल

पुत्रान भँवरलाल समस्त जाति खाती निवासी खातीयो की ढ़ाणी शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.

3- संतोष पुत्र भँवरलाल पत्नि त्रिलोक उम्र 45 साल जाति खाती निवासी हिरनोदा, तहसील फुलेरा।

4- श्रीमती माया पुत्री भँवरलाल उम्र 32 साल जाति खाती निवासी हरमाड़ा।

---प्रतिवादीगण

वाद घोषणाएवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 टी0 ऐ0

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

! निर्णय !! दिनांक- 22-4-2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय रामचन्द्र पुत्र बिरदाराम के वंशज हैं जिनका सिजरा खानदान वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित किया हैं उक्त सिजरा अनुसार रामचन्द्र एंव जोहरी दोनो सगे भाई थे जौहरी नाओलाद फोत हो गया। वादीगण एंव प्रतिवादीगण स्वर्गीय बिरदाराम के वंशज होने से रामचन्द्र एंव जौहरी की छोड़ी हुई आराजी मे सिजरा अनुसार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण समान भाग के हकदार हैं। पक्षकारान कि संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की पुश्तेनी आराजीयात जमाबंदी ग्राम शार्दुलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर संवत 2071 सें 2074 मे वर्णित खाता नंबर नया 43 व पुराना 44 की आराजी खसरा नंबर 356 रकबा 1 बीघा 06 विस्वा किस्म बारानी-ए स्थित हैं जिसमे सम्पूर्ण रकबे मे जोहरी पुत्र बिरदाराम 1/2हिस्से का एंव रामचन्द्र पुत्र बिरदाराम 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे अतः दोनो के स्वर्गवास बाद उसका नामान्तरणकरण 5/6हिस्से का हम वादीगण एंव 1/6 हिस्से का प्रतिवादीगण जो स्व0भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र के वारिस है के नाम खुलाना चाहिये था, किन्तु मृतक भंवरलाल ने अपने आपको जोहरी का दतक पुत्र बताकर उसके 1/2 हिस्से का नामा0 अपने अकेले के नाम से खुलवा लिया, एंव हम वादीगण के साथ रामचन्द्र के 1/2 हिस्से मे भी अपना नाम लगवा लिया जब कि उसका सम्पूर्ण रकबे पर कोई कब्जा नही रहा अपितु हम वादीगण का सम्पूर्ण्र रकबे मे 5/6हिस्से पर व 1/6 हिस्से पर भंवरलाल काबिज था, भवरलाल के स्वर्गवास बाद प्रतिवादीगण जो उसके वारिस है 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार खाता नंबर नया 37 व पुराना 120 की आराजी खसरा नंबर 299 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा किस्म बारानी-2 स्थित हैं जिसमे सम्पूर्ण रकबे मे जोहरी पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

बिरदाराम 1/8 हिस्से का एंव रामचन्द्र पुत्र बिरदाराम 1/8 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे अतः दोनो के स्वर्गवास बाद उक्त दोनो के हिस्से की कुल 1/4 हिस्से की आराजी का नामान्तरणकरण 5/6 दर हि01/4 यानि कुल भूमि मे 5/24 हिस्से का वादीगण सं0 1 लगायत 5 के नाम एंव 1/6 दर हि01/4 यानि कुल भूमि का 1/24 हिस्से का नामा भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र के वारिस है के नाम खुलना चाहिये था, किन्तु मृतक भंवरलाल ने अपने आपको जौहरी का दत्तक पुत्र बताकर उसके 1/8 हिस्से का नामा0 अपने अकेले के नाम से खुलवा लिया, साथ ही रामचन्द्र के हिस्से मे वादीगण के साथ भी अपना नाम 1/2 हिस्से मे अकंन करा लिया जब कि उसका सम्पूर्ण रकबे पर कोई कब्जा नही रहा अपितु वादीगण का सम्पूर्ण रकबे मे 5/24 हिस्से पर व 1/24 हिस्से पर भंवरलाल काबिज था, भवंरलाल के स्वर्गवास बाद प्रतिवादीगण जो उसके वारिस है 1/24 हिस्से पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार खाता नंबर नया 28 व पूराना 38 की आराजीयात खसरा नंबर 278/1 रकबा 7 बीघा 03 विस्वा किस्म बंजड़-1, खसरा नंबर 278/2 रकबा 01 विस्वा किस्म बंजड़-1, गै0मु0चाह, खसरा नंबर 279 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा किस्म जाव-1, खसरा नंबर 280 रकबा 2 बीघा 01 विस्वा किस्म चाही-1, जाव-1, खसरा नंबर 281 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा किस्म जाव-1, खसरा नंबर 282 रकबा 1 बीघा 03 विस्वा किस्म चाही-1, खसरा नंबर 283 रकबा 17 विस्वा किस्म जाव-1, खसरा नंबर 284 रकबा 05 विस्वा किस्म गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 285 रकबा 10 विस्वा किस्म चाही-1, खसरा नंबर 286 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा किस्म चाही-1, खसरा नंबर 287 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा किस्म चाही-1, खसरा नंबर 288 रकबा 1 बीघा 07 विस्वा किस्म बंजड़-1, खसरा नंबर 289 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा किस्म जाव-1, खसरा नंबर 349 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 355 रकबा 8 बीघा 01 विस्वा किस्म बंजड़-1, खसरा नंबर 357 रकबा 03 विस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 359 रकबा 04 विस्वा किस्म बंजड़-1,

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Cont.

Scanned by CamScanner

खसरा नंबर 360 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 363 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 364 रकबा 1 बीघा 08 विस्वा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 365 रकबा 1 बीघा 07 विस्वा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 366 रकबा 1 बीघा 08 विस्वा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 367 रकबा 3 बीघा 02 विस्वा किस्म बारानी-ए, खसरा नंबर 368 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा किस्म बारानी-ए कुल किता 24 कुल रकबा 59 बीघा 16 विस्वा स्थित हैं जिसमे जिसमे सम्पूर्ण रकबे मे जौहरी पुत्र बिरदाराम 1/8 हिस्से का एंव रामचन्द्र पुत्र बिरदाराम 1/8 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे अतः दोनो के स्वर्गवास बाद उक्त दोनो के हिस्से की कुल 1/4 हिस्से की आराजी का नामान्तरणकरण 5/6 दर हि01/4 यानि कुल भूमि मे 5/24 हिस्से का वादीगण सं0 1 लगायत 5 के नाम एंव 1/6 दर हि01/4 यानि कुल भूमि का 1/24 हिस्से का नामा भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र के वारिस है के नाम खुलाना चाहिये था, किन्तु मृतक भंवरलाल ने अपने आपको जौहरी का दत्तक पुत्र बताकर उसके दर्ज 1/8 हिस्से का नामा0 अपने अकेले के नाम से खुलवा लिया, साथ ही रामचन्द्र के छोडे हुये 1/8 हिस्से मे भी भंवरलाल ने अपना नाम दर्ज करा लिया जब कि उसका सम्पूर्ण रकबे पर कोई कब्जा नही रहा अपितु वादीगण का 5/24 हिस्से पर व 5/24 हिस्से पर भंवरलाल काबिज था, भवंरलाल के स्वर्गवास बाद प्रतिवादीगण जो उसके वारिस है 5/24 हिस्से पर काबिज काश्त है। इस प्रकार भंवरलाल ने अपने कुदरति पिता रामचन्द्र के हिस्से मे भी वादीगण के साथ हिस्सा ले लिया एंव अपने चाचा जोहरी की छोडे हुये हिस्से कि सम्पूर्ण कि खातेदारी अपने नाम अकित करा लि जब कि जोहरी के छोडे हुये हिस्से मे 5/6 हिससे कि हम वादीगण के व 1/6 हिस्से कि भंवरलाल के नाम खुलना चाहिये था। राजस्व रेकार्ड मे जोहरी के स्वर्गवास बाद खाता नंबर नया 43 मे हिस्सा 1/2 एंव खाता नंबर नया 37 की आराजी मे हिस्सा 1/8 एवं खाता नंबर नया 28 मे 1/8 हिस्से की खातेदारी भंवरलाल पुत्र जौहरी के नाम दर्ज रहने से उसके

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Cont.

Scanned by CamScanner

स्वर्गवास बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गयी ओर वह भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज समस्त हिस्सें की भुमि की खातेदारी अपनें नाम दर्ज करानें एवं कुदरति पेदावार उपयोग उपभोग में लेने एवं वादीगण कों बेदखल करनें पर उतारू हैं। इस गरज सें दिनांक 25/10/10 कों प्रतिवादीगण जबरन अपने हिस्सें सें अधिक भुमि में कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी वादीगण कें आपत्ति करनें पर प्रतिवादीगण ऐलानिया खाता नंबर 43 मे 1/2 हिस्सें, एव खाता नंबर 27 मे 1/8 हिस्से व खाता नंबर 28 मे 1/8 हिस्से की आराजी जो भंवरलाल पुत्र जौहरी के नाम दर्ज है का फोती नामा0 अपनें नाम खुलानें एवं हम वादीगण कों बेदखल करनें की धमकी दी अतः यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। अतः हम वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित पेरा नंबर 2 वाद पत्र खाता नंबर 43 मे भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज 1/2 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के एंव खाता नंबर 37, 28 वर्णित पेरा नंबर 3, 4, वाद मे भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज 1/8 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एंव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार है एंव भंवरलाल पुत्र जौहरी का नाम हजफ फरमाया जाने कि कृपा करें।

उक्त वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो तसदीक कर शामील मिसल किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन मे प्रदर्श-1 जमाबंदी खाता नं0 43, सम्वत 2071 सें 2074 व खाता नं0 37 सम्वत 2071 से 2074 व जमांबदी खाता नं0 28, प्रदर्श-2 पास बुक खाता नं0 82 व प्रदर्श-3 राजीनामा, प्रदर्श-4 खतौनी बंदोबस्त खाता सं0 17, 18, 22, 23

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Cont.

Scanned by CamScanner

संवत 2011 से 2029 साक्ष्य मे शपथ पत्र वादी कैलाशचन्द एंव गवाह भैरूराम, गणेशनारायण के पेश किये व उनके बयान कराये।

वादीगण ने अन्य कोई शहादत पेश नही करना जाहिर करने पर साक्ष्य समाप्त की गई बहस अधिवक्ता सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद मे वर्णित तथ्य दौहराते हुए प्रार्थना की कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर कि फरमायी जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित पेरा नंबर 2 वाद पत्र खाता नंबर 43 मे भंवरलाल पुत्र जोहरी के दर्ज 1/2 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के एंव खाता नंबर 37, 28 वर्णित पेरा नंबर 3, 4, वाद मे भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज 1/8 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एंव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एंव भंवरलाल पुत्र जोहरी का नाम हजफ फरमाया जाने कि कृपा करें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्रस्तुत गवाहन के बयानो का अवलोकन किया गया उससे जाहिर है कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित पेरा नंबर 2 वाद पत्र खाता नंबर 43 मे भंवरलाल पुत्र जोहरी के दर्ज 1/2 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के एंव खाता नंबर 37, 28 वर्णित पेरा नंबर 3, 4 वाद मे भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज 1/8 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एंव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार है एंव भंवरलाल पुत्र जोहरी का नाम गलत दर्ज हुआ है जो हजफ किये जाने योग्य हैं। चूंकि पक्षकारान मे राजीनामा हो चूका हैं ऐसी स्थिति में वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री जाने योग्य हैं।

!! आदेश !!

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जाती है कि विवादग्रस्त आराजी पेरा नंबर 2 वाद पत्र खाता नंबर 43 मे भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज 1/2 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एंव प्रतिवादीगण जो

उप खण्ड अधिकारी
लाँभर लेक

Cont.

Scanned by CamScanner

भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के एंव खाता नंबर 37, 28 वर्णित पेरा नंबर 3, 4 वाद मे भंवरलाल पुत्र जौहरी के दर्ज 1/8 हिस्से मे वादीगण 5/6 हिस्से के एंव प्रतिवादीगण जो भंवरलाल के वारिस है 1/6 हिस्से के सयुक्त खातेदार काश्तकार है एंव भंवरलाल पुत्र जौहरी का नाम गलत दर्ज हुआ है जो हजफ किया जाता हैं अतः निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें मिसल फेसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक २२-४-२०१८ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर ...